न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 51/2024

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री कालूराम पुत्र श्री जगाजी कलबी निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 02.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 14.05.2013 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत भावरी को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के आदेश की अनुपालना में पंचायत समिति आबूरोड के दो सदस्यीय कमेटी के द्वारा की गई, जिसमें उक्त विक्रय विलेख की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से उक्त विक्रय विलेख निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख की कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 के अनुसार करने का प्रावधान है, परन्तु जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नियगों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपूर्ण व दोषपूर्ण कार्यवाही कर नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में सरपंच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) में अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ दिए जाने की नियत से नियमों के विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। चूंकि नियम 157(1) द्वारा जारी विक्रय विलेख 23–क के अनुसार अवैधानिक प्रक्रियानुसार है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर विक्रय विलेख जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 14.05.2013 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जबाव देने का अवसर बन्द किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 93 दिनांक 14.05.2013 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा दिनांक 05.04.2013 को प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न की गई है और उक्त विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना किए जाने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही था और ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भावरी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं किया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है। इसके अलावा पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर का अभाव पाया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई गलती है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री श्याम सुन्दर कुमावत पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड एवं श्री हीराराम पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन में कुल 118 पत्रावलियों में नियमों की पूर्ण पालना नहीं करते पट्टा जारी करने की कार्यवाही दोषपूर्ण पाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परन्तु विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा केवल 20 पट्टों से ही सम्बन्धित निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है तथा प्रार्थी द्वारा शेष पट्टों के सम्बन्ध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है और प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर मूल परिवाद की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादी द्वारा किस प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है, जिसके अभाव में प्रश्नगत पट्टों की विधिकता, औचित्य व अनियमितता के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner